

प्रश्न,

विश्व प्रज्ञा गुप्त
संस्कृत संस्थान
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या भवन-2 समुदाय केंद्र,
प्रीति विहार नई दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

तकसुत: दिनांक: 07 जुलाई 2004

विषय:-

वाराणसी पब्लिक स्कूल केराकपुर लोहा रोड, वाराणसी को सी०बी०स्त० की संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

संबोध,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०स्त० की संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत सौतापट्टी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० की शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बातक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीसिम फार दि इण्डियन स्कूल स्टीफिक्ट इक्वालिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

---2---

Pras
Principal
Varanasi Public School
Kerakatpur, Lohta-Varanasi
AFF. No.-2130678
School No.-71322

Manager
Divya Pandey
Varanasi Public School

- 151 संस्था/शैक्षिक एवं विद्यार्थी कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या शिथिलता दर्शायी जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भददीप,

शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

दिनांक तैव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।
- 4- निरीक्षक, आंगण भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ।
- ✓ 5- प्रबंधक, वाराणसी पब्लिक स्कूल केराकपुर लोहा रोड, वाराणसी ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से

शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

Principal
Varanasi Public School
Kerakatpur, Lohta-Varanasi
AFF. No.-2130678
School No.-71322

Manager
Divya Pandey
Varanasi Public School